भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1794

जिसका उत्तर 2 अगस्त, 2022/11 श्रावण, 1944 (शक) को दिया गया

बैंकिंग और बीमा कंपनियों में ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा

1794. श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा ग्राहकों के कई व्यक्तिगत ब्यौरे और खाते संबंधी जानकारी दूसरों तक पहुंचाई जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बैंकों में डेटा लीक होने के मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने में विफल रहा है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान डेटा लीक के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे मामलों में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की सूचना साझा करने से संबंधित 'अपने ग्राहक को जानें' संबंधी मास्टर निदेश के अनुसार, बैंक को ग्राहक सूचना के संबंध में गोपनीयता बरतनी होगी और उसे गोपनीय माना जाएगा और सूचनाओं को किसी भी प्रयोजन के लिए ग्राहक की स्पष्ट अनुमति के बिना प्रकट नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने यह सूचित किया है कि व्यक्तिगत और ग्राहकों के खातों का विवरण अन्य व्यक्ति को तब तक नहीं दिया जाता है जब तक कि यह कानून के उपबंधों के तहत प्रदान किया जाना अनिवार्य न हो। इसके अतिरिक्त, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि बीमा कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत और ग्राहकों के खातों का विवरण किसी अन्य को दिए जाने के संबंध में कोई दृष्टांत इनकी जानकारी में नहीं आया है।

(ख) से (घ): आरबीआई ने यह अवगत कराया है कि जून 2018 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान बैंकों द्वारा सूचित किए गए डेटा ब्रीच संबंधी सफल हमलों की कुल संख्या 248 है (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक-41, निजी क्षेत्र के बैंक-205 और विदेशी बैंक-2) और अधिकतम डेटा ब्रीच कार्ड नंबर लीकेज, कारोबार/गैर-कारोबार सूचनाएं आदि की चोरी से संबंधित है।

डेटा ब्रीच के मामलों में आरबीआई द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में आरबीआई ने यह सूचित किया है कि उन्होंने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए साईबर सुरक्षा फ्रेमवर्क के बारे में दिशानिर्देश जारी किया है, जिसके द्वारा बैंकों को, अन्य बातों के अतिरिक्त, अपने सिस्टम से डेटा लीकेज को रोकने के लिए साईबर/आईटी नियंत्रकों को लागू करना आवश्यक हैं। बैंकों को आईटी रिस्क गवर्नेंस फ्रेमवर्क सुदृढ करने के भी निर्देश दिए गए हैं जो अपेक्षित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने में बोर्ड की बोर्ड/बोर्ड की आईटी समिति की सक्रिय भागीदारी के साथ-साथ उनके मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी द्वारा सक्रिय भूमिका को अधिदेशित करता है।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने यह सूचित किया है कि आरबीआई द्वारा आयोजित आईटी परीक्षण के दौरान अपेक्षित नियंत्रकों के गैर/अपर्याप्त कार्यान्वयन के कारण हुई गैर-अनुपालना का मूल्यांकन भी किया जाता है। उनके द्वारा मौजूदा विनियामकीय निदेशों/दिशानिर्देशों के पालन और पर्यवेक्षी चिंताओं से संबंधित समाधान को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के विरुद्ध सुविचारित कार्रवाई को अपनाया गया है। अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई कार्रवाई का स्तर गैर अनुपालना की तीव्रता एवं आवृत्ति और विनिर्दिष्ट निदेशों के प्रकार पर भी निर्भर करता है जिनका पालन नहीं किया गया है। आउटलायर बैंक के विरुद्ध की गई प्रवर्तन कार्रवाई सहित निरीक्षणात्मक प्रक्रिया और निरीक्षणात्मक कार्रवाई में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित भी शामिल हैं-

(i) निश्चित समय-सीमा के भीतर सुधारात्मक उपायों का आरंभ करने के लिए बैंक के प्रबंधन सहित मामले को संबंधित बैंक के ध्यान में लाना।

(ii) प्रबंधन/बोर्ड को जांच की सलाह देना और निश्चित समय-सीमा में आवश्यक रूप में चूककर्ता कर्मचारी/वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करना।

(iii) प्रबंधन के प्रति असंतोष पत्र को बोर्ड के समक्ष रखा जाए।

(iv) प्रवर्तन कार्रवाई के रूप में कारोबार की गतिविधियों पर मौद्रिक दंड या प्रतिबंध लगाना।

*****